

// आदेश //

अवमानना याचिका संख्या-3631/ 2018 उत्तर प्रदेश कामर्शियल टैक्स स्टैटिस्टिकल स्टाफ एसोसिएशन व अन्य बनाम श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04-12-2019 व 18-12-2019 के अनुपालन में उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 02(vi)/01/पी/एस-5/2017-18, दिनांक 08-01-2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में सांख्यिकीय संवर्ग की विभागीय प्रोन्नति कोटा की चयन वर्ष 2016-17 की रिक्तियों पर अनुपूरक चयन हेतु उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 यथासंशोधित 1997 में समय-समय पर हुए संशोधनों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 5(2) 5(3) 5(4) एवं नियम 16 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित तत्कालीन अपर सांख्यिकीय अधिकारियों सम्प्रति सांख्यिकीय अधिकारी को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 Rs. 9300-34800 +ग्रेड पे Rs. 4800) (दिनांक 01-01-2016 से प्रभावी वेतन मैट्रिक्स लेबल-8 (रु 47600-151100) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र0स0	सांख्यिकीय संवर्ग की ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	चयन वर्ष
1	2	3	4
1	61	श्री शिव कुमार तिवारी	चयन वर्ष 2016-17
2	62	श्री विद्या सागर लाल	चयन वर्ष 2016-17

- (क) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति मानी जायेगी।
- (ख) उपर्युक्त वाणिज्य कर, अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में यथा समय बाद में अलग से नियमानुसार प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।
- (ग) उक्त नव पदोन्नत वाणिज्यकर अधिकारियों को संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर/ ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)/ ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना), मुख्यालय, वाणिज्य कर, अपने अपने कार्यालय में वर्तमान तैनाती स्थान पर इस प्रतिबन्ध के साथ तत्काल कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करे कि वे अग्रिम तैनाती के आदेशों तक अपने जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर के निर्देशानुसार वर्तमान तैनाती के स्थान पर पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।
- (घ) उक्त सभी अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष की परीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ायी भी जा सकती है।
- (च) उक्त आदेश अवमानना याचिका संख्या-3631/ 2018 उत्तर प्रदेश कामर्शियल टैक्स स्टैटिस्टिकल स्टाफ एसोसिएशन व अन्य बनाम श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04-12-2019 व 18-12-2019 तथा अन्य सुसंगत रिटों में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन जारी किया जा रहा है।

—/—

(अमृता सोनी)

कमिश्नर

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या- 02(vi)/01/पी/एस-5/2017-18, दिनांक 08-01-2020 के सन्दर्भ में।
- 2- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

- 4- निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उर प्रदेश इलाहाबाद को राजकीय गजट में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
- 5- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 6- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन प्रथम को इस आशय से प्रेषित कि वे नव पदोन्नत उक्त वाणिज्य कर अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना आन लाइन कम्प्यूटर के माध्यम से तथा हार्ड कापी विशेष वाहक के माध्यम से 16-01-2020 तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 7- जिलाधिकारी, लखनऊ / वाराणसी ।
- 8- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, प्रयागराज तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (सेवावाद) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को अवमानना याचिका संख्या-3631/ 2018 उत्तर प्रदेश कामर्शियल टैक्स स्टैटिस्टिकल स्टाफ एसोशिएसन व अन्य बनाम श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04-12-2018 व 18-12-2018 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष यथा समय प्रस्तुत कगने हेतु प्रेषित ।
- 9 - मुख्य कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वाराणसी।
- 10 - ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत कार्मिक को कार्यभार ग्रहण कराकर कार्यभार प्रमाण पत्र स्थापना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
- 11- आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, लखनऊ/ वाराणसी।
- 12- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ ।
- 13- संबंधित कार्मिकों को नाम से ।
- 14- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को उक्त प्रोन्नति आदेश की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रोन्नत आदेश की एक प्रति तत्काल विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
- 15- मैनुअल अनुभाग, मुख्यालय ।
- 16- कम्प्यूटर आपरेटर (स्थापना राजपत्रित कक्ष) मुख्यालय।
- 17- स्था0-2, पटल (श्री वीरेन्द्र कुमार आर्या /श्री नैमिष कुमार) को संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों में रखने हेतु।
- 18- चरित्र पंजिका पटल।

(अंजनी कुमार अग्रवाल)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।